FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0313 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/11/2025 17:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 06/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/11/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/11/2025 17:06:27 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 6 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** NRI CHAURAHE SE PURV DISHA KI TARAF, D-MART ROAD PAR BANI CHAI KI TADI, JAGATPURA JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAMKESH MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHAGWAN SAHAY MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1993 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LOTWARA, BAIJUPARA, बैजूपाडा, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LOTWARA, BAIJUPARA, बैजूपाडा, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMBABU MEENA		पिता:RATAN SINGH MEENA	1. GRAM AVM POST JAGJIVANPUR,WEIR JILA BHARATPUR,WEIR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	RAVI KUMAR MEENA		पिता:PHOOL SINGH MEENA	1. 230/65,SECTOT 23,JAIPUR CHAUPATI KE PICHE,PRATAPNAGAR JAIPUR,PRATAP NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 31.10.2025 को परिवादी श्री रामकेश मीना पुत्र श्री भगवान सहाय मीना उम्र 32 साल निवासी गांव लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा होना बताते हुए अपने पास से एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर के नाम संबोधित है पेश किया। जिसमें अंकित किया कि मेरा छोटा भाई सुमेर मीना जो अध्यनरत है वह करीब एक साल पहले श्री महेश मीना निवासी खेडी रामला हाल निवासी कपिल विहार कॉलौनी सरस डेयरी के पास दौसा के मकान में किराये से रहा था। श्री महेश मीना ने मेरे भाई सुमेर मीना व अजित मीना एवं अन्य के खिलाफ महिला थाना दौसा में पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसका मुकदमा नम्बर 213/2025 दिनांक 10.09.2025 है। उक्त मुकदमें में मेरे भाई सुमेर व अजित मीना को पुलिस ने दिनांक 10.09.2025 को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। करीब तीन चार दिन पहले अजित मीना के भाई अजय मीना के पास रवि मीना नाम के व्यक्ति जिसके नम्बर [redacted] से फोन आया था व उसके भाई अजित व मेरे भाई सुमेर मीना की DNA रिपोर्ट चेन्ज करवाने के लिए FSL अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने बाबत् वार्ता की थी। श्री अजय मीना ने मुझे फोन कर बताया व श्री रवि मीना व FSL अधिकारी श्री रामबाबू से मिलवाया तो दोनों ने मेरे भाई सुमेर व अजित मीना की DNA रिपोर्ट चेन्ज करवाने की ऐवज में रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं इन लोगो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी इनसे कोई रंजिश या उधार लेन-देन नहीं है। अतः रिपोर्ट करता हूँ० कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। उक्त शिकायत पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। परिवादी ने दरियाफ्त पर उक्त शिकायत स्वयं द्वारा लिखना तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना तथा आरोपी से किसी प्रकार का कोई लेन-देन तथा आपसी रंजिश नहीं होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रामकेश मीना के साथ श्री आशीष कुमार कानि. 208 को भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी रवि मीना (प्राईवेट व्यक्ति) एवं आरोपी रामबाबू मीना प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा परिवादी के भाई सुमेर व अजित मीना की DNA रिपोर्ट चेन्ज करने की ऐवज में 8 लाख रूपये रिश्वत की मांग की व कहा कि आपके भाई सुमेर मीना व अजित मीना के 4-4 लाख रूपये हिस्से में आयेगें कहना पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादी से आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर लाने की कहने पर परिवादी श्री रामकेश मीना द्वारा 6-7 दिन में व्यवस्था कर लाने की कहने पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं शीघ्र ही आरोपीगण को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर लाने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 6.11.2025 को परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् फोन आने पर कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग जयपुर से दो स्वतन्त्र गवाह तलब किये जाने पर श्री हिमांशु मीना कनिष्ठ सहायक एवं श्री मयंक टांक वरिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित आये। जिनका आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिया गया हस्तलिखित प्रार्थना पत्र स्वतन्त्र गवाहान को पढाया जाकर स्वतन्त्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत पूछा तो दोनों ने स्वैच्छा से अपनी-अपनी सहमती दी। इसके पश्चात् मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी रामकेश मीना को संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी श्री रामकेश मीना ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000 रूपये व 500 रूपये जैसे

दिखने वाले "भारतीय मनोरंजन बैंक" की डमी करेंसी की 5 गड्डीयां (प्रत्येक गड्डी में 100 नोट) कुल 250 नोट, राशि 2.50 लाख रूपये (डमी करेंसी) निकालकर कुल 3,00,000/- रूपये मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 50,000 रूपये के नोटों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाये गये। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 100 नोटों एवं डमी करेंसी के 500-500 रूपये के 500 नोटों पर पृथक-पृथक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्रीमति संजू महिला कानि0 नं. 220 से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में फिनोफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डालकर उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा उक्त नोटों को अखबार दैनिक भास्कर जयपुर गुरूवार 18 सितम्बर 2025 के पेच 7 और 8 में लपेट कर उसके ऊपर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर एक पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल की थैली जिस पर अंग्रेजी में Books Plaza लिखा हुआ में रखवाया गया। परिवादी श्री रामकेश मीना की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हिमांशु मीना से लिवाई गई तो परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं छोड़ी गई। तत्पश्चात उक्त पाउडर युक्त नोटों की पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल की थैली को श्रीमति संजू महिला कानि0 नं. 220 से परिवादी रामकेश मीना के हाथ में दिलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटों को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको थैली से निकाल कर रिश्वत के रूप में देवें तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन् अति0पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिसकॉल कर ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया जाकर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 6.11.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर समय करीब 06.10 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस, श्री रामजीलाल उप निरीक्षक पुलिस, श्री राजकुमार हैड कानि. 79, श्री आशीष कानि. 208 एवं श्रीमति राजबाला महिला कानि. 495, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना व श्री मयंक टांक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन मय चालक के तथा परिवादी श्री रामकेश मीना को उसकी मोटर साईकिल से श्री बंशीधर कानि. 24 व श्री मनु कानि. 111 के साथ वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर एनआरआई चैराहा जगतपुरा के पास पहुंचकर परिवादी श्री रामकेश मीना को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपीगण से सम्पर्क करने हेतु सदिग्ध आरोपी के ऑफिस के लिए उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया तथा मन् अति.पुलिस अधीक्षक भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। परिवादी रामकेश मीना एनआरआई चौराहे से पूर्व दिशा की तरफ रोड पर कुछ दूरी पर दुकानों के सामने रूक गया। इसके पश्चात् परिवादी को रोड के दूसरी तरफ बनी चाय की थडी के पास से लाल जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति जो स्कूटी पर था। जिसने ईशारा कर बुलाने पर परिवादी अपनी मोटर साईकिल लेकर रोड के दूसरी तरफ बनी चाय की थडी पर मोटर साईकिल खडी कर थडी पर खडे लाल जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति के पास गया तथा दोनों चाय की थडी पर बैठ गये तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य भी मौके अनुसार अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडे हो गये। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति नीले रंग की शर्ट पहने हुए था एक कार से उतर कर आया और चाय की दुकान पर आकर परिवादी व संदिग्ध व्यक्ति के पास बैठ गया और कार उसको उतार कर चली गई। परिवादी एवं उक्त दोनों संदिग्ध व्यक्ति आपस में बातचीत करने लगे। इसके पश्चात् लाल जैकेट पहने हुआ संदिग्ध व्यक्ति परिवादी रामकेश मीना को अपनी स्कूटी पर बैठाकर एनआरआई चौराहे की तरफ चला गया तथा दूसरा संदिग्ध व्यक्ति चाय की थडी पर ही बैठा रहा। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व संदिग्ध व्यक्ति के पीछे कानि. मनु शर्मा व कानि. बंशीधर को रवाना किया तथा अन्य जाप्ते को हिदायत मुनासिब कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ते के सरकारी वाहन से परिवादी व संदिग्ध व्यक्ति के पीछे-पीछे रवाना हुआ। परन्तु रात्री का समय होने व रोड पर अत्यधिक वाहनों की आवाजाही होने के कारण कुछ दूरी के आगे ही परिवादी व संदिग्ध व्यक्ति की स्कूटी ओझल होने के कारण पीछा नहीं किया जा सका और वापस चाय की थडी जिस पर दूसरा संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ था की निगरानी में मुकीम होकर परिवादी के आने व रिश्वत लेन-देन के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके कुछ देर पश्चात् संदिग्ध व्यक्ति व परिवादी रामकेश मीना वापस आये व चाय की दुकान पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। कुछ देर पश्चात् परिवादी अपनी मोटर साईकिल स्टार्ट कर बिना ईशारा किये ही रवाना हो गया तथा दोनों संदिग्ध व्यक्ति भी स्कूटी से रवाना हो गये। परिवादी ने कुछ दूरी पर जाकर मन् अति.पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर फोन कर बताया कि मैने संदिग्ध आरोपी रवि मीना जो अपने साथ स्कूटी पर उसके घर लेकर गया व रिश्वती राशि की थैली मुझसे लेकर उसके घर पर रख कर मुझे साथ लेकर वापस चाय की थडी पर आया व मुझे भेज दिया। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ते के दोनों

संदिग्ध व्यक्तियों की स्कूटी का पीछा किया। परिवादी ने रिश्वत राशि संदिग्ध व्यक्ति द्वारा घर पर रखकर आने की बात देर से बताने तथा रात्री का समय होने के कारण दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को काफी तलाश करने पर भी नहीं मिले। इसके पश्चात् परिवादी के पास आकर परिवादी से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल फोन पर बहाना बनाकर बुलाने हेतु वार्ता कराई तथा संदिग्ध आरोपी के नहीं आने पर पुनः वार्ता कराई गई तो संदिग्ध आरोपी ने फोन स्वीच ऑफ कर लिया। इसके पश्चात् परिवादी से विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात् परिवादी श्री रामकेश मीना से पूछने पर उसने बताया कि लाल जैकेट पहने हुए जो व्यक्ति मुझे स्कूटी पर बैठाकर अपने घर लेकर गया था उसका नाम रवि मीना प्राईवेट व्यक्ति है तथा नीली शर्ट पहने जो व्यक्ति चाय की थडी पर बैठा था उसका नाम रामबाबू मीना एफएसएल अधिकारी था। इसके पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों के परिवादी रामकेश मीना को साथ लेकर संदिग्ध आरोपी रवि मीना के घर पहुंचा। उक्त मकान की घंटी बजाने पर कोई नहीं आया व भूतल बन्द होने व मैन गेट अनलॉक होने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय स्वतन्त्र गवाहान के प्रथम तल पर पहुंचा। जहां एक महिला व 2 छोटे बच्चे मिले। उक्त महिला को ट्रेप टीम की उपस्थिति में मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम शारदा पत्नि श्री रवि कुमार मीना उम्र 25 साल निवासी गांव मंडेरू, तहसील टोडाभीम, जिला करौली हाल उक्त मकान में किरायेदार होना बताया। इस पर श्रीमति शारदा से अभी कुछ देर पहले रवि मीना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरा पति रवि एवं परिवादी रामकेश को पहचान कर कहा कि यह व्यक्ति आये थे। एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली मेरा पति अलमारी में रखकर गया था। इसके थोडी देर बाद मेरा पति व अन्य व्यक्ति के साथ वापस आया और अलमारी में रखी उक्त सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली को वापस ले गया। मुझे नहीं पता की उस थैली में क्या था। इस पर स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में उक्त किराये के कमरे की तलाशी लिवाई गई तो ओढने-पहनने के कपडों एवं घरेलू सामान के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसका नक्शा मौका कसीद कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के उक्त किराये के मकान से रवाना होकर वापस उक्त चाय की थडी पर आये व घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। संदिग्ध आरोपी रवि मीना के मोबाईल फोन नं. [redacted] पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कॉल किया गया तो फोन स्वीच ऑफ मिला। अपने पास सुरक्षित रखे हुए विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो उसमें परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य रिश्वत के लेन-देन के समय हुई वार्ताएं रिकॉर्ड होना पाई गई, उक्त घटना क्रम की फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित वापस ब्यूरो कार्यालय आया।इसके पश्चात् दिनांक 10.11.2025 को गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड दिनांक 31.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापनएवं दिनांक 6.11.2025 को रिश्वती राशि लेन-देन के समय हुई वार्ताओं को को पुनः चला कर सुना गया तो परिवादी श्री रामकेश मीना, आरोपी रवि मीना एवं आरोपी रामबाबू मीना के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त लेन-देन के दौरान वार्ताएं होना पाई गई। जिसकी लेपटॉप की सहायता से नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं अब तक उजागर हुए तथ्यों से आरोपी श्री रामबाबू मीणा, प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा आरोपी रवि मीना (प्राईवेट व्यक्ति) के मार्फत परिवादी श्री रामकेश मीना से उसके छोटे भाई के विरूद्ध महिला पुलिस थाना दौसा में दर्ज पोक्सो एक्ट के मुकदमा नं. 213/2025 में परिवादी के भाई सुमेर मीना एवं अन्य अजीत मीना की DNA रिपोर्ट चेन्ज करने की ऐवज में आरोपी श्री रामबाबू मीणा, प्रयोगशाला सहायक ने आरोपी रवि मीना के सामने दिनांक 31.10.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी रामकेश मीना से 8 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में आरोपी रवि मीना द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 6.11.2025 को परिवादी को अपनी स्कूटी पर बैठाकर घर ले जाकर रिश्वती राशि 3 लाख रूपये अपने घर पर रखना तथा परिवादी को साथ लेकर वापस आरोपी रामबाबू मीना के पास चाय की थडी पर आकर बैठने के पश्चात् परिवादी को रवाना करना तथा आरोपीगण अपनी स्कूटी पर रवाना होने के पश्चात् परिवादी श्री रामकेश मीना ने रिश्वती राशि देने के संबंध में ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा नहीं करने और मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को देर से जरिये मोबाईल बताने पर आरोपीगण द्वारा सांशय साक्ष्य का विलोपन करते हुये रिश्वती राशि अपने साथ लेकर रूहपोश हो गये। आरोपी श्री रामबाबू मीना हाल प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 238 बी.एन.एस. तथा आरोपी श्री रवि कुमार मीना (प्राईवेट व्यक्ति) का कृत्य अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 238 बी.एन.एस. में कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री रामबाबू मीना पुत्र श्री रतन सिंह मीणा उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पोस्ट जगजीवनपुर बैर जिला भरतपुर हाल प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर एवं श्री रवि कुमार मीना पुत्र श्री फूल सिंह मीणा उम्र 32 वर्ष, जाति मीणा, निवासी वार्ड नं.-1, ग्राम पोस्ट मंडेरू तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी मकान नं. 230/65, सेक्टर- 23, जयपुर चैपाटी के पीछे, प्रताप नगर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय (भूपेन्द्र)

अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नगर प्रथम, जयपुर........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से श्री रामबाबू मीना पुत्र श्री रतन सिंह मीणा उम्र 33 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम पोस्ट जगजीवनपुर बैर जिला भरतपुर हाल प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 238 बी.एन.एस. 2023 तथा आरोपी 2. श्री रवि कुमार मीना पुत्र श्री फूल सिंह मीणा उम्र 32 वर्ष, जाति मीणा, निवासी वार्ड नं.-1, ग्राम पोस्ट मंडेरू तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी मकान नं. 230/65, सेक्टर-23, जयपुर चौपाटी के पीछे, प्रताप नगर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2), 238 बी.एन.एस. 2023 के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अभिषेक पारीक, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर द्वितीय जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 459 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1772-75 दिनांक 24.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Abhishek Pareek **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 2 .11/2025 1 3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)